रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1680] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938
No. 1680] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ ASADHA 14 , 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

का.आ. 2311(अ).—केंद्रीय सरकार ने 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं0 13029 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 7 जनवरी, 1998 के आदेश के अनुसरण में पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ईपीसीए' कहा गया है), का गठन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्वारा किया गया ;

ईपीसीए का गठन पर्यावरण की क्वालिटी सुरक्षित करने और सुधारने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को निवारित और नियंत्रित करने के उद्देश्य के साथ किया गया था ;

ईपीसीए माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विभिन्न पर्यावरण संबंधी मामलों में सहायता कर रहा है ;

ईपीसीए का कार्यकाल केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विस्तारित किया गया था और उसे अंतिम बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 606(अ), तारीख 23 फरवरी, 2015 द्वारा 30 जून, 2015 तक विस्तारित किया गया था ;

ईपीसीए का कार्यकाल 30 जून, 2015 को समाप्त हो गया ;

श्री भूरे लाल, अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ईपीसीए के कार्यकाल में विस्तार, पुनर्गठन और आदेश के उपांतरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अंतरवर्ती आवेदन फाइल किया गया था ;

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 30 अप्रैल, 2016 के आदेश द्वारा तारीख 17 फरवरी, 2016 के उक्त अंतरवर्ती आवेदन को अनुज्ञात किया ;

अत:, इसलिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ; और 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 13029 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 30 अप्रैल, 2016 के आदेश के अनुसरण में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन करती है :--

(1) श्री भूरे लाल, पूर्व सचिव, भारत सरकार - अध्यक्ष ;

(2) सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, नई दिल्ली - सदस्य ;

(3) सचिव (पर्यावरण और वन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) - सदस्य ;

(4) सदस्य-सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली - सदस्य ;

(5) आयुक्त और सचिव, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) - सदस्य ;

(6) अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली - सदस्य ;

(7) आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली - सदस्य ;

(8) आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली - सदस्य ;

(9) आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली - सदस्य ;

(10) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली - सदस्य ;

(11) पुलिस संयुक्त आयुक्त (यातायात) दिल्ली पुलिस - सदस्य ;

(12) आचार्य मुकेश खरे, सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली - सदस्य ;

(13) डा. अतुल कुमार लोहरी, आचार्य, स्कूल आफ लाइफ साइंसेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - सदस्य ;

(14) श्री अजय कुमार भागी, सह आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय - सदस्य ;

(15) श्री विष्णु माथुर, महानिदेशक, सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स - सदस्य ;

IndiaCode

2. प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और पर्यावरण की क्वालिटी की संरक्षा और सुधार के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए निम्नलिखित कृत्य करेगा,-

(क) किसी अधिकारी के आदेश के अतिक्रमण से संबंधित परिवाद की बाबत या निम्नलिखित से संबंधित विनिर्दिष्ट उपायों के लिए निर्देश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा-

(i) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी क्वालिटी के लिए मानक ;

(ii) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानक ;

(iii) उन क्षेत्रों का निर्बंधन, जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे ;

(iv) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपाय ;

(v) परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ।

(ख) ऊपर वर्णित विषयों को स्वयमेव या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर उठाने की शक्ति होगी । ऐसे परिवाद कोई उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण चला रहे किसी व्यक्ति, संगम, कंपनी, लोक उपक्रम या स्थानीय निकाय के विरुद्ध हो सकेंगे ।

3. प्राधिकरण, यान प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए यानों द्वारा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिनके अंतर्गत यानों के प्रदूषण की जांच के लिए उपस्कर का उचित अंशशोधन, ईधन क्वालिटी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, यातायात नियोजन और प्रबंधन के लिए मानीटरी और समन्वय करने का कार्य है ।

4. प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट परिवेशी शोर मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश देने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत शोर का उत्सर्जन करने वाले किसी उद्योग, प्रसंस्करण या संक्रिया पर पाबंदी लगाना या निर्बंधित करना है ।

5. प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय ऐसे मुद्दों पर, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण इस आदेश के पैरा 2 के अधीन की जाने वाली कोई कार्रवाई की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

7. प्राधिकरण इस आदेश के पैरा 2 के अधीन की जाने वाली कोई कार्रवाई की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन नमूना लेने की शक्ति का प्रयोग करेगा ।

8. प्राधिकरण, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विरुद्ध परिवाद करने के लिए और इस आदेश के पैरा 2 के अधीन उसके द्वारा किए गए निदेशों की अननुपालना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

9. प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर अधिकारिता होगी ।

10. प्राधिकरण को पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य संपूर्णत: केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

11. प्राधिकरण का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

12. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों के विषय में एक प्रगति रिपोर्ट महीने में एक बार केंद्रीय सरकार को देगा।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. क्यू-18011/13/2000-सीपीए(पीटी.)]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 4th July, 2016

S.O. 2311(E).—Whereas in pursuance of the order dated the 7th January, 1998 of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13029 of 1985, the Central Government constituted the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (hereinafter referred to as the 'EPCA'), *vide* notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.93 (E), dated the 29th January, 1998;

And whereas, the EPCA was constituted with the objective of protecting and improving the quality of the environment and preventing and controlling environmental pollution in the National Capital Region;

And whereas, the EPCA is assisting the Hon'ble Supreme Court in various environment related matters in the National Capital Region in terms of the above referred notification;

And whereas, the tenure of the EPCA was extended from time to time by the Central Government and lastly it was extended up to 30th June, 2015 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 606(E), dated the 23rd February, 2015;

And whereas, the tenure of EPCA expired on the 30th June, 2015;

And whereas, an Interlocutory Application was filed before the Hon'ble Supreme Court for extension of tenure, re-constitution and modification of the mandate of the EPCA for National Capital Region headed by Shri Bhure Lal, Chairman;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 30th April, 2016 has allowed the said Interlocutory Application dated 17th February, 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act); and in pursuance of the order dated the 30th April, 2016 of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13029 of 1985, the Central Government hereby in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998, except as things done or omitted to be done before such supersession, re-constitutes the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority, consisting of the following persons, namely:-

(1)	Sri Bhure Lal, ex-Secretary, Government of India	- Chairman;
(2)	Ms. Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, New Delhi	- Member;
(3)	Secretary (Environment and Forests), Government of National Capital Territory of Delhi	- Member;
(4)	Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi	- Member;

(5) Commissioner-cum-Secretary, Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi -Member;

(6) Chairperson, New Delhi Municipal Council, New Delhi - Member;

(7) Commissioner, East Delhi Municipal Corporation - Member;

(8) Commissioner, South Delhi Municipal Corporation - Member;

(9) Commissioner, North Delhi Municipal Corporation - Member;

(10) Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, New Delhi - Member;

(11) Joint Commissioner of Police (Traffic), Delhi Police - Member;

(12) Professor Mukesh Khare, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, New Delhi - Member;

(13) Dr. Atul Kumar Johari, Professor, School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi - Member;

(14) Shri Ajay Kumar Bhagi, Associate Professor, Department of Chemistry, Dayal Singh College, University of Delhi - Member;

(15) Shri Vishnu Mathur, Director General, Society of Indian Automobile Manufacturers - Member;

2. The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions for protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution, namely:-

(a) exercise the powers under section 5 of the said Act for issuing directions in respect of complaints relating to the violation of an order by any authority or measure specified pertaining to-

(i) standards for the quality of the environment in its various aspects;

(ii) standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources;

(iii) restriction of areas in which any industries, operations or processes of class of industries or process shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;

(iv) procedures and safeguards for the prevention of accidents which may cause environmental pollution and remedial measures for such accidents;

(v) procedures and safeguards for the handling of hazardous substances.

(b) shall have the power to take up matters as mentioned above, *suo-motu*, or on the basis of complaints made by any individual, representative body or organisation functioning in the field of environment. Such complaints may be against any individual, association, company, public undertaking or local body carrying on any industry, operation or process.

3. The Authority shall, for controlling vehicular pollution, take all necessary steps to ensure compliance of specified emission standards by vehicles including proper calibration of the equipment for testing vehicular pollution, ensuring compliance of fuel quality standards, monitoring and coordinating action for traffic planning and management.

4. The Authority shall, for ensuring maintenance of the prescribed ambient noise standards, have the power to issue directions under section 5 of the said Act, including banning or restricting any industry, process or operation emitting noise.

5. The Authority shall deal with environmental issues pertaining to the National Capital Region which may be referred to it by the Central Government.

6. The Authority shall exercise the powers of entry, inspection, search and seizure under section 10 of the said Act, in respect of any action to be taken under paragraph 2 of this Order.

7. The Authority shall exercise the power to take samples under section 11 of the said Act, in respect of any action to be taken under paragraph 2 of this Order.

8. The Authority shall exercise the powers under section 19 of the said Act, for making complaints against offences under the said Act and for non-compliance of directions issued by it under paragraph 2 of this Order.

9. The Authority shall have jurisdiction over the National Capital Region as defined in clause (f) of section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

10. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

11. The tenure of the Authority shall be for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

12. The Authority shall furnish a progress report about its activities once in a month to the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters in National Capital Region.

[F. No. Q-18011/13/2000-CPA (Pt.)]
Dr. RASHID HASAN, ADVISOR

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.